न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
15 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	27.01.2020	15.05.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन साल जाति महाजन निवासी मालियों का मोहल्ला जमात निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स ओमप्रकाश विनोद कुमार सुरेश ऑयल मिल के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021।

2–मैसर्स ओमप्रकाश विनोद कुमार, सुरेश ऑयल मिल के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021।

3–श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री राजू लाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स विरेन्द्र ट्रेंडिग गणगौरी बाजार निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

4– मैसर्स विरेन्द्र ट्रेडिंग गणगौरी बाजार निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021।

5–श्री हिमांशु शर्मा नॉमिनी मैसर्स शिव इडिबल्स लिमिटेड एसपीएल नं0 1 व 2, रीको एग्रो फूड पार्क फैस–3, ग्राम राणपुर, झालावाड रोड, कोटा राज0। पिनकोड–325003 / रजि0 ऑफिस–343 / ए. तलवण्डी कोटा राज0। पिनकोड–324005।

6–मैसर्स शिव इडिबल्स लिमिटेड एसपीएल नं0 1 व 2, रीको एग्रो फूड पार्क फैस–3, ग्राम राणपुर, झालावाड रोड, कोटा राज0। पिनकोड–325003 / रजि0 ऑफिस–343 / ए. तलवण्डी कोटा राज0। पिनकोड–324005।

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 15.5.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.08.2019 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स ओमप्रकाश विनोद कुमार सुरेश ऑयल मिल के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स ओमप्रकाश विनोद कुमार सुरेश ऑयल मिल के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पदार्थ कन्फैक्शनरी, गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 30 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल पैक **रिफांइड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को गवाह केसामने फार्म नं0 5 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **रिफांइड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 13 एवं पैंकिग की दिनांक जुलाई 2019 थी वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान की रैक में रखें लगभग 30 मूल पैक पैक्ड अवस्था में से, ज्यों का त्यों **रिफांइड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** में से 500–500 एम.एल. पैक के कुल 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफांइड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** को 4 मूल पैक 500–500 एम.एल. पैक. को ज्यों का त्यों 1–1 नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2251 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को खाकी कागज से अच्छी तरह लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2251 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।.

श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ मैसर्स ओमप्रकाश विनोद कुमार सुरेश ऑयल मिल के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी उक्त खाद्य पदार्थ का कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया, पत्र प्रेषित कर बिल चाहने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स विरेन्द्र ट्रेंडिग गणगौरी बाजार निवाई जिला टोंक का बिल प्रस्तुत किया एवं मैसर्स विरेन्द्र ट्रेंडिग गणगौरी बाजार निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स शिव इडिबल्स लिमिटेड एसपीएल नं0 1 व 2, रीको एग्रो फूड पार्क फैस–3, ग्राम राणपुर, झालावाड रोड, कोटा राज0 रजि0 ऑफिस–343/ए, तलवण्डी कोटा का बिल प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/19/2377 दिनांक 01.10.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/1769/एक्ट/2019/1306 दिनांक 16.08.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **रिफांइड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1व 2 तथा 5 व 6 की ओर से श्री रमेश शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 08.02.2024 को वकालतनामा पेश कर जवाब व बहस हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। दिनांक 15.05.2025 को अभिभाषक एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहें। अभिभाषक अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगाई गई परन्तु अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी सं0 1,2 व 5,6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 4 व 5 को जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा ने अप्रार्थी की मृत्यु होना अंकित किया जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी से अप्रार्थी के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति लेकर शामिल पत्रावली की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफांइड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त खाद्य पदार्थ जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफांइड सोयाबीन तेल (सदाबहार ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है तथा शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से शेष अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हो। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0